[2021] 3 एस. सी. आर. 1044

एम/एस। सिल्पी उद्योग ई. टी. सी.

वी.

केरल राज्य सड़क परिवहन निगम

& एएनआर। ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 1570-1578 2021 का)

29 जून, 2021

[अशोक भूषण और आर. सुभाष रेड्डी, जेजे।]

सीमा अधिनियम, 1963: एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 से उत्पन्न होने वाले ए. सी. अधिनियम, 1996 के तहत कार्यवाही के लिए प्रयोज्यता-आयोजितः सीमा अधिनियम एस द्वारा कवर किए गए मध्यस्थता पर लागू होता है। 18 (3) एमएसएमईडी अधिनियम, 2006-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 - एस. 18 (3)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006: एस. 18 (3) – एस के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में जवाबी दावे की रखरखाव। 18 (3) एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम-आयोजित एस को देखते हुए। 23 (2ए) ए. सी. अधिनियम, 1996 के अनुसार, प्रतिदावा/निपटान बनाए रखने योग्य है-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एस. 23 (2ए)।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 को बढ़ावा देने और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए लागू किया गया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए। 16 जून 2006 से उपरोक्त अधिनियम (2006 का अधिनियम 27) लाकर, पूर्ववर्ती अधिनियम, अर्थात् छोटे पैमाने पर विलंबित भुगतान पर ब्याज और

सहायक औद्योगिक उपक्रम अधिनियम, 1993 को 2006 के अधिनियम की धारा 32 के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। [पैरा 16] [1056-एफ-जी]

1.2 उपरोक्त दोनों विधानों के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती विधान, अर्थात 1993 का अधिनियम (आई. डी. 1) केवल विलंब के संबंध में सीमित था। लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को भुगतान लेकिन 2006 के बाद के अधिनियम द्वारा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को शामिल करते हुए एक व्यापक कानून लाया गया था। [पैरा 17] [1057-एफ-जी]

1.3 2006 के अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, जहां आपूर्तिकर्ता किसी भी वस्तु की आपूर्ति करता है या किसी भी खरीदार को कोई सेवा प्रदान करता है,

खरीदार पक्षों के बीच सहमति की तारीख को या उससे पहले लिखित रूप में या जहां कोई समझौता नहीं है, निर्धारित दिन से पहले भुगतान करेगा। धारा 16 भुगतान न करने की स्थिति में देय ब्याज की दर और तारीख से संबंधित है। देय राशि के लिए वसूली तंत्र धाराओं द्वारा कवर किया जाता है

17 और उक्त अधिनियम की धारा 18। यदि किसी पक्ष को धारा 17 के तहत देय राशि के संबंध में विवाद है, तो सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को एक संदर्भ दिया जाना आवश्यक है। इस तरह के संदर्भ पर, परिषद को मामले में सुलह करने या सुलह करने के लिए ऐसी संस्था का संदर्भ देकर वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी संस्थान या केंद्र से सहायता लेने का अधिकार है। यदि सुलह सफल नहीं होता है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 18 (2) के तहत विचार किया गया है, तो उसे उक्त अधिनियम की धारा 18 (3) के तहत समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद, परिषद या तो स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए उठाएगी या इसे किसी भी संस्था या केंद्र को भेजेगी।

इस तरह के मध्यस्थता के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाओं और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को लागू किया जाता है जैसे कि मध्यस्थता मध्यस्थता के अनुसरण में थी।

धारा की उप-धारा (1) के तहत पक्षों के बीच समझौता 7 1996 के अधिनियम से। मध्यस्थताओं पर सीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता 1996 के अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत आती है। [पैरा 18] [1065-ई-एच; 1066-ए-बी]

आंध्र प्रदेश विद्युत समन्वय समिति और अन्य। वी. लैंको कोंडापल्ली पावर लिमिटेड और अन्य। (2016) 3 एससीसी 468 [2015] 12 एससीआर 447-पुष्टि की गई।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान किए गए हैं। लागू होता है जैसे कि [2021] 3 एस. सी. आर. के तहत पक्षों के बीच एक समझौता था।

2.1 अन्य मुद्दा मध्यस्थता कार्यवाही में जवाबी दावे की रखरखाव के संबंध में है जो इस प्रकार शुरू की गई है। 2006 के अधिनियम की धारा 18 (3)। 2006 के अधिनियम की धारा 18 (3) को पढ़ने से पता चलता है कि जब उप के तहत सुलह शुरू की गई थी

उक्त अधिनियम की धारा 18 की धारा (2) सफल नहीं है, परिषद या तो स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए उठाएगी या मध्यस्थता के लिए किसी संस्था को भेजेगी। इसके अलावा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3) यह भी स्पष्ट करती है कि 1996 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है जैसे कि 1996 के अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत पक्षों के बीच कोई समझौता है। 1996 के अधिनियम की धारा 23 दावे और बचाव के बयान से संबंधित है। धारा 23 (2ए), जो प्रत्यर्थी को मध्यस्थता समझौते के दायरे में दावों के संबंध में जवाबी दावा प्रस्तुत करने या समझौता करने का अधिकार देती है, को 2016 के अधिनियम 3 में संशोधन करके क़ानून में लाया गया है। संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण भी कम से कम अदालत के हस्तक्षेप के साथ मध्यस्थता से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

विधेयक का खंड 11, जिसके द्वारा उप-धारा (2ए) का प्रस्ताव किया गया था -

अधिनियम, 1996 अधिनियम के प्रावधानों को न केवल लागू किया जाता है, बल्कि इस आशय का विशिष्ट उल्लेख किया जाता है जैसे कि मध्यस्थता उप-धारा में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी। (1) 1996 के अधिनियम की धारा 7। जब काउंटर-क्लेम और सेट-ऑफ दाखिल करने का प्रावधान होता है जिसे एम/एस में स्पष्ट रूप से डाला जाता है।

सिल्पी उद्योग ई. टी. सी. v. केरल राज्य सड़क परिवहन निगम

1996 के अधिनियम की धारा 23 में कटौती करने का कोई कारण नहीं है

कानून, विक्रेता दावों के लिए सुविधा परिषद से संपर्क कर सकता है, 2006 अधिनियम के प्रावधानों के तहत खरीदार द्वारा भुगतान की विफलता की स्थिति में, उसी समय, यदि किसी दिए गए मामले में किसी भी मध्यस्थता के लिए पक्षों के बीच कोई अलग समझौता नहीं है, तो खरीदार विक्रेता के खिलाफ दावा करने के लिए दीवानी अदालत से संपर्क कर सकता है।

या अन्यथा यदि पक्षों के बीच विवाद की स्थिति में मध्यस्थता के लिए पक्षों के बीच कोई समझौता है, तो पक्ष मांग कर सकते हैं

2.3 भुगतान करने के लिए खरीदार के दायित्व, और द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर ब्याज का पुरस्कार खरीदार द्वारा देरी की स्थिति में रिजर्व बैंक और सूक्ष्म और लघु की वसूली और संदर्भ के लिए तंत्र

उद्यम सुविधा परिषद और पुरस्कारों से पीड़ित पक्ष के लिए 2006 के अधिनियम के तहत आगे के उपाय, 2006 के अधिनियम के अध्याय V द्वारा कवर किए गए हैं। अधिनियम की धारा 15 से 23 के प्रावधानों को किसी भी चीज के बावजूद प्रबल प्रभाव दिया गया है। उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित इसके साथ असंगत। उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह भी स्पष्ट है कि यह लघु, मध्यम और सूक्ष्म क्षेत्र के लिए एक लाभकारी कानून है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 एक सामान्य कानून है जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 एक विशेष लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य उक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभान्वित करना है। 2006 के अधिनियम में एक वैधानिक [2021] 3 एस. सी. आर. पर विचार किया गया है।

सुलह विफल होने पर मध्यस्थता। एक पक्ष जो 2006 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है, एक पक्ष को पहले सुलह करने और फिर उसके और अन्य पक्षों के बीच विवाद पर मध्यस्थता करने के लिए अधिनियम के तहत गठित परिषद में आवेदन करने की अनुमति देता है। 2006 के अधिनियम और 1996 के अधिनियम के तहत निपटान तंत्र में बुनियादी अंतर हैं। पहला अंतर यह है कि 2006 के अधिनियम के तहत गठित परिषद के समक्ष अनिवार्य सुलह करने के लिए मध्यस्थता जो 1996 के अधिनियम के तहत ऐसा नहीं है। दूसरा, 2006 के अधिनियम के तहत सुलह की विफलता की स्थिति में, परिषद या केंद्र या संस्थान को मध्यस्थता के लिए पहचाना जाता है। 1996 का अधिनियम सहमत मंच द्वारा विवादों के समाधान की अनुमति देता है। तीसरा अंतर यह है कि विक्रेता के पक्ष में पुरस्कार की स्थिति में और यदि उसे चुनौती दी जानी है, तो दी गई राशि का 75 प्रतिशत पूर्व जमा करने की शर्त है। 1996 के अधिनियम में ऐसा नहीं है। जब इस तरह के लाभकारी प्रावधान विशेष में हैं

अधिनियमन, ऐसे लाभों को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि प्रति-दावा परिषद के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं है। जो भी हो,

जब भी खरीदार परिषद के अधिकार क्षेत्र से बचना चाहता है, तो खरीदार विक्रेता के दावों का जवाब दिए बिना, प्रति-दावे की विशाल याचिका पर ऐसा कर सकता है। जब धारा 15 से 23 के प्रावधानों को अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रबल प्रभाव दिया जाता है और आगे 2006 का अधिनियम एक लाभकारी विधान है, तो भी

खरीदार, यदि कोई दावा है, तो परिषद के समक्ष अधिकार क्षेत्र के बहुत अच्छी तरह से अधीन हो सकता है और अपना दावा/जवाबी दावा कर सकता है क्योंकि अन्यथा यह अधिनियम के उद्देश्यों को विफल कर देगा जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक लाभकारी कानून है। ऐसे मामलों में भी जहां मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए कोई समझौता नहीं है, यदि विक्रेता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के दायरे में आने वाला एक पक्ष है, यदि ऐसा पक्ष विवाद के समाधान के लिए परिषद से संपर्क करता है, तो अन्य पक्ष उसी मुद्दे पर दावा करने के लिए दीवानी अदालत या किसी अन्य मंच से संपर्क कर सकता है। यदि दो समानांतर कार्यवाही की अनुमति दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप परस्पर विरोधी निष्कर्ष निकल सकते हैं। [पैरा 23] [1070-सी-एच; 1071 ए-डी]

एल. आर. एस. एल. आर. के माध्यम से एडुकान्ति किस्टम्मा (मृत)। . वी. एल. आर. के माध्यम से एस. वेंकटरेड्डी (मृत)। & ओआरएस। (2010) 1

एस. सी. सी. 756 [2009] 16 एस. सी. आर. 47-पर निर्भर था।

एम/एस। सिल्पी उद्योग ई. टी. सी. v. केरल राज्य सड़क परिवहन निगम

2.4 यह स्पष्ट है कि दोनों विधानों में से प्रावधान

2006 के अधिनियम के तहत प्रदान किया गया। इसके अलावा, प्रावधान 1996 के अधिनियम की धारा 23 (2ए) के तहत, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि प्रति-दावे की अनुमति नहीं है, तो खरीदार बैंक दर के 3 गुना पर चक्रवृद्धि ब्याज और एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 और 19 के तहत "75 प्रतिशत पूर्व-जमा" के कानूनी दायित्व को पूरा कर सकता है। खंड के सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर

18 (3) 2006 के अधिनियम और 1996 के अधिनियम की धारा 7 (1) और धारा 23 (2ए) के अनुसार, प्रति-दावा वैधानिक प्रावधानों के समक्ष बनाए रखा जा सकता है।

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत प्राधिकरण। [पारस 23,24] [1071-डी-एच; 1072 ए]

3.1 2021 के C.A.Nos.1620-1622 में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की याचिका को अस्वीकार करते हुए,

प्रति-दावा ने 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी है और दूसरा मध्यस्थ नियुक्त किया है। हालाँकि, इस मामले में अपीलकर्ता, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत सांविधिक प्राधिकरणों के समक्ष प्रति-दावा और रद्द करना बनाए रखने योग्य है। अपीलों का समूह राहत का हकदार नहीं है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तारीख को अपीलार्थी के पास अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ज्ञापन जमा करके पंजीकरण नहीं था। बोली 23.02.2010 पर आमंत्रित की गई थी, अपीलार्थी ने 17.05.2010 पर अपनी बोली प्रस्तुत की, प्रतिवादी ने 24.09.2010 पर अपीलार्थी को अनुबंध प्रदान किया और पक्षों ने 29.07.2011 पर सामग्री की आपूर्ति, बिजली संयंत्र की स्थापना/चालू करने के लिए अनुबंध दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद, आपूर्ति की गई और अपीलार्थी ने आपूर्ति अनुबंध के लिए 02.11.2011 पर पहला चालान उठाया और 07.07.2012 पर स्थापना के लिए अनुबंध के अनुसार पहला चालान भी उठाया और अपीलार्थी ने सामग्री की आपूर्ति के लिए अनुबंध को आगे बढ़ाने के लिए अंतिम चालान 29.03.2014 पर उठाया। अपीलार्थी [2021] 3 एस. सी. आर. पर भी दावा करता है।

स्थापना के लिए अनुबंध को आगे बढ़ाने के लिए 29.03.2015 पर अंतिम चालान उठाया है। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी ने जिला औद्योगिक केंद्र केवल 25.03.2015 पर उद्यमी ज्ञापन के अनुदान के लिए। [पैरा 25] [1072-ए-ई]

जीई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड बनाम विश्वसनीय इंजीनियरिंग परियोजनाएं

और विपणन (2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6978

प्रतिष्ठित।

3.2 यद्यपि अपीलार्थी एमएसएमईडी अधिनियम के तहत प्रावधानों के लाभ का दावा करता है, इस आधार पर कि अपीलार्थी भी था दावा करने की तारीख को आपूर्ति, जैसा कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रदान किया गया है, लेकिन यह किसी भी आधार पर नहीं है।

स्वीकार्य सामग्री। वर्तमान मामले में, निर्विवाद स्थिति यह है कि आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण से पहले आपूर्ति पूरी कर ली गई थी। एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत प्रावधानों का लाभ लेने के लिए, विक्रेता को अनुबंध में प्रवेश करने की तारीख को अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होना चाहिए था। किसी भी स्थिति में, एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इकाई के पंजीकरण से पहले किए गए अनुबंध के अनुसार आपूर्ति के लिए, ऐसी संस्था द्वारा कोई लाभ नहीं मांगा जा सकता है, जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम के तहत विचार किया गया है। [पैरा 26] [1072-ई-एफ, जी-एच; 1073-ए]

शांति कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और ए. एन. आर. आदि. वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य। आदि. (2019) 19 एस. सी. सी. 529-संदर्भित।

3.3 यह दिखाने के लिए कोई स्वीकार्य सामग्री नहीं है कि माल की आपूर्ति हुई है या बाद में कोई सेवा प्रदान की गई है।

अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, वस्तुओं और सेवाओं के अनुबंध और आपूर्ति में प्रवेश करने के बाद, कोई भी व्यक्ति एक उद्यम के रूप में एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत वर्गीकृत होने की कानूनी स्थिति को उस तारीख से पूर्वव्यापी रूप से लाभ का दावा करने के लिए नहीं मान सकता है, जिस दिन अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ अनुबंध किया था। अपीलार्थी एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अर्थ के भीतर लाभों का दावा करने के लिए सूक्ष्म या लघु उद्यम या आपूर्तिकर्ता नहीं बन सकता है। माल और सेवाओं के अनुबंध और आपूर्ति में प्रवेश करने के बाद पंजीकरण प्राप्त करने के लिए ज्ञापन। यदि कोई पंजीकरण प्राप्त किया जाता है, तो यह संभावित होगा और एम/एस की आपूर्ति के लिए लागू होगा।

सिल्पी उद्योग ई. टी. सी. v. केरल राज्य सड़क परिवहन निगम

पंजीकरण के बाद की वस्तुएँ और सेवाएँ लेकिन पूर्वव्यापी रूप से संचालित नहीं हो सकती हैं। प्रावधान की कोई भी अन्य व्याख्या बेतुकी होगी और उस पक्ष के पक्ष में अनुचित लाभ प्रदान करेगी जो कानून द्वारा अभिप्रेत नहीं है। [पैरा 26] [1073-सी-एफ] 3.4 यह भी विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी ने जिला औद्योगिक केंद्र से संपर्क किया और उद्यमी ज्ञापन दायर किया

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम 2006 की धारा 8 के तहत केवल आई. डी. 1 पर और बाद में अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदन दायर करके एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए परिषद से संपर्क किया है। यह प्रत्यर्थी का विशिष्ट मामला है कि अपीलार्थी ने फरवरी/मार्च 2015 के महीने में कम और दोषपूर्ण आपूर्ति करके अधूरे काम को छोड़ दिया है। मामले के उस दृष्टिकोण में, अपीलार्थी अध्याय 5 के प्रावधानों को लागू करने और एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 के तहत मध्यस्थता का संदर्भ लेने का हकदार नहीं है। इसके अलावा, चूंकि यह भी विवाद में नहीं है कि उनके अनुबंध के अनुसार विवादों के समाधान के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए एक समझौता है, इसलिए उच्च न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को उचित रूप से स्वीकार कर लिया है। [पैरा 17] [1073-एफ-एच; 1074-ए]

एम/एस। बी. एच. पी. इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड वी. निदेशक, उद्योग, यू. पी (सुविधा केंद्र), कानपुर और अन्य। (2009) एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 565; मेसर्स। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषद

(2010) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 2208-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 12 एससीआर 447

पुष्टि की

पैरा 18

[2009] 16 एससीआर 47

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

(2019) 19 एस. सी. सी. 529

पैरा 25

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 1570

1578 2021 से।

उच्च न्यायालय के 11.08.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 की मध्यस्थता अपील सं. 69,70,72,73,77,78,79,80 और 81 में एर्नाकुलम में केरल का।

21] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के साथ

सिविल अपील सं। 1620-1622 2021 से।

वी. गिरि, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, बसव प्रभु एस. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कार्तिक एस. डी., जॉन मैथ्यू, दीपक प्रकाश, निखिल बालन,

सुश्री दिव्यांगना मलिक, नितिन, नचिकेता वाजपेयी, सुश्री प्रेरणा रॉबिन, सुश्री जेसिका भारद्वाज, अभिषेक भाटी, पी. बी. सुरेश, विपिन नायर, कार्तिक जयशंकर, अरिदम घोष, अंशुमन बहादुर, वी. एन. रघुपति, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. विचार के लिए उत्पन्न होने वाले सामान्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों पर एक साथ सुनवाई की जाती है और इस आम याचिका द्वारा उनका निपटारा किया जाता है।

निर्णय।

2. सिविल अपील सं। 1570-1578 2021 की याचिका दायर की गई है, जो मध्यस्थता अपील Nos.69 में पारित सामान्य निर्णय दिनांक 11.08.2017 से व्यथित है।

70 , 72 , 73 , 77 , 78 , 79 , 80 और 2014 का 81। उपरोक्त निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर मध्यस्थता अपीलों को अनुमति दे दी है

नहीं। 1 - केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, को अलग करके ओ. पी. में पारित सामान्य आदेश दिनांक 05.08.2014 (अरब।) 2007 आदि का Nos.258 और मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार। उच्च न्यायालय ने फैसले में की गई टिप्पणियों के आलोक में मामलों को नए सिरे से निपटाने के लिए मध्यस्थ को भेज दिया है।

3. सिविल अपील सं। 1620-1622 उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2017 के O.P.No.617 में दिनांकित 06.09.2017 के आदेश से व्यथित होकर 2021 के मामले दायर किए गए हैं।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर मूल याचिका (जिसे इसके बाद '1996 अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) और अंतरिम निर्देशों की मांग करने वाले आवेदनों में पारित किए गए 31.10.2017 और 12.12.2017 दिनांकित आदेशों को अनुमति देते हुए।

4. ऊपर उल्लिखित अपीलों के पहले समूह में संक्षेप में आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं:

प्रत्यर्थी नं. 1 - केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (संक्षेप में 'केएसआरटीसी') ने टायर पुनर्निर्माण के लिए धागे के रबर की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं। यहाँ अपीलार्थी जो इससे पहले दावेदार थे

मध्यस्थ को खरीद आदेश दिए गए थे। खरीद आदेश की शर्तों के अनुसार, कुल खरीद मूल्य का 90 प्रतिशत अपीलार्थियों/एम/एस को देय था।

सामग्री की आपूर्ति पर दावेदारों और शेष 10 प्रतिशत का भुगतान अंतिम प्रदर्शन रिपोर्ट के अधीन किया जाना था। ऐसा इसलिए था, क्योंकि यह शर्त थी कि अपीलकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धागे की रबड़ को कम से कम किलोमीटर चलना था। जब 10 प्रतिशत शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया था

खरीद आदेश के अनुसार, अपीलकर्ताओं/दावेदारों ने औद्योगिक सुविधा परिषद से संपर्क किया है [जो पहले लघु और सहायक उद्योगों को विलंबित भुगतान पर ब्याज के तहत गठित की गई थी] उपक्रम अधिनियम, 1993 (संक्षेप में, 'आई. डी. पी. ए. एस. सी. अधिनियम')] वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (इसके बाद 'एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद के तहत है। पहले के आई. डी. पी. ए. एस. सी. अधिनियम को एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पहले के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। सुलह विफल होने के कारण, इसमें अपीलार्थियों द्वारा किए गए दावों को 1996 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। पुरस्कार दावेदारों के पक्ष में पारित किए गए थे और ऐसे पुरस्कारों को 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत अलग रखने के लिए आवेदनों के माध्यम से चुनौती दी गई थी। जब उनके आवेदन खारिज कर दिए गए, तो प्रत्यर्थियों ने एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील के माध्यम से मामले को उठाया। निर्णय के पैराग्राफ 5 में तैयार किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा जवाब दिए गए मुद्दों को नीचे पढ़ा गया है:

" (क) क्या सीमा अधिनियम, 1963 मध्यस्थता पर लागू होता है।

आई. डी. पी. ए. एस. सी. और एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियमों के तहत की गई कार्यवाही?

(ख) जिसके लिए दावा करने के लिए सीमा का प्रारंभिक बिंदु है

10 % अवैतनिक खरीद मूल्य?

(ग) क्या आई. डी. पी. ए. एस. सी. के प्रावधानों के अनुसार आयोजित मध्यस्थता कार्यवाही में जवाबी दावा स्वीकार्य है और

एमएसएमईडी अधिनियम? "

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों ने सीमा के मुद्दे का जवाब दिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि सीमा अधिनियम, 1963 एमएसएमईडी अधिनियम से उत्पन्न 1996 के अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू होता है। जवाबी दावे की स्थिरता के संबंध में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा है कि 1996 के अधिनियम की धारा 23 (2ए) को ध्यान में रखते हुए, 'जवाबी दावा' और 'रद्द' बनाए रखने योग्य हैं। यह मानते हुए कि

जवाबी दावा बनाए रखने योग्य है, उच्च न्यायालय विद्वान एकल [2021] 3 एस. सी. आर. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेसर्स के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बी. एच. पी. इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड वी. निदेशक, उद्योग, यू. पी (सुविधा केंद्र), कानपुर और Ors.[1] और बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय

नागपुर में मेसर्स के मामले में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषद 2. मुख्य रूप से दुखी उच्च न्यायालय द्वारा सीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता और जवाबी दावे की रखरखाव पर दर्ज किए गए निष्कर्षों के अनुसार, दावेदारों ने इन अपीलों को विभिन्न आधारों पर दायर किया है।

6. दीवानी अपील सं. में आवश्यक तथ्य। 1620-1622 2021 के रूप में हैं

इसके अंतर्गत:

एम. डब्ल्यू. बैनर-II एसएचपी। पार्टियों ने 27.03.2011 पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें विभिन्न खंड शामिल हैं। यह अपीलार्थी का मामला है कि उसने अनुबंध को पूरी तरह से निष्पादित कर दिया है और परियोजना 27.06.2015 पर चालू की गई थी। अपीलार्थी ने यहाँ यह आरोप लगाते हुए कि यद्यपि उसने अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा किया है, प्रत्यर्थी ने अनुबंध के अनुसार भुगतान करने से इनकार कर दिया है, माइक्रो के समक्ष एक दावा याचिका दायर की है। और एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 20.03.2017 पर गठित लघु उद्यम सुविधा परिषद। आपूर्ति के संबंध में दावा दायर किया गया था

प्रत्यर्थी-कंपनी को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं का। यह अपीलार्थी का मामला है कि सुविधा परिषद द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, प्रत्यर्थी परिषद के समक्ष उपस्थित हुआ। इसके बाद प्रत्यर्थी ने 2017 का O.P.No.617 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया है।

मद्रास। उक्त आवेदन 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत दायर किया गया था जिसमें जल-यांत्रिक उपकरणों की आपूर्ति के लिए अनुबंध के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के अनुसार पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों पर निर्णय लेने के लिए दूसरे मध्यस्थ की नियुक्ति का अनुरोध किया गया था।

7. प्रतिवादी द्वारा यहाँ दायर किए गए उक्त आवेदन का अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर विरोध किया जाता है कि वह पहले ही

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद ने विवादों के समाधान के लिए, जैसे कि प्रत्यर्थी के साथ-साथ परिषद के समक्ष कार्यवाही में भाग लेते हुए, 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत दायर आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया। 8. उच्च न्यायालय के समक्ष, यह प्रत्यर्थी का मामला था कि सुविधा परिषद का गठन मुख्य रूप से इससे निपटने के लिए किया गया है

1 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 565

22010 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 2208 एम/एस.

श्री न्यायमूर्ति के. ज्ञानप्रकाशम, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश द्वितीय मध्यस्थ के रूप में। 10. जब उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो दिनांक 29.01.2018 के आदेश द्वारा, नोटिस जारी करते समय इस न्यायालय ने विशेष आदेश दिया है

लीव पिटिशन को एस. एल. पी. के साथ टैग किया जाए। (ग) 2017 का Nos.33745-33753 (2021 का C.A.Nos.1570-1578)। 11. एसएलपी में (ग) संख्या। 33745-33753 2017 का (C.A.Nos। 1570-1578 2021 का), दिनांक 25.01.2018 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने सीमित नोटिस जारी किया

यह मुद्दा कि क्या प्रत्यर्थी के जवाबी दावे पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जा सकता है। 12. हमने अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि और अतिरिक्त सॉलिसिटर सुश्री ऐश्वर्या भाटी को सुना है।

केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से उपस्थित होने वाले जनरल सिविल अपील सं। 1570-1578 2021 के श्री पी. बी. सुरेश, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और श्री बसव प्रभु पाटिल, विद्वान वरिष्ठ

सिविल अपील सं. में प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले वकील। 1620-1622 2021 से।

13. पक्षकारों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए केवल दो मुद्दे उत्पन्न होते हैं, अर्थात्:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू? ; और
((ii) क्या इस तरह के मध्यस्थता में प्रतिदावा बनाए रखने योग्य है।

कार्यवाही?

14. उपरोक्त मुद्दों से निपटने से पहले हमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कुछ पृष्ठभूमि पहलुओं का उल्लेख करने की आवश्यकता है विकास अधिनियम, 2006 और पूर्ववर्ती अधिनियम, अर्थात् लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993, जिसे एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 32 के आधार पर निरस्त कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. 1993 का अधिनियम 32 एक नीति के अनुसार एक परिणाम था

लघु उद्योगों पर सरकार द्वारा दिया गया वक्तव्य

संसद। यह महसूस किया गया कि छोटे पैमाने या सहायक औद्योगिक उपक्रमों में अपर्याप्त कार्यशील पूंजी इस तरह के उपक्रम के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली गंभीर और स्थानिक समस्याओं का कारण बनती है। लघु उद्योग बोर्ड, जो सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ लघु औद्योगिक इकाइयों से संबंधित नीतियों पर एक शीर्ष सलाहकार निकाय था,

16. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 को बढ़ावा देने और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए लागू किया गया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विकास और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए। 16 जून 2006 से उपरोक्त अधिनियम (2006 का अधिनियम 27) लाकर, लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993 नामक पूर्ववर्ती अधिनियम को 2006 के अधिनियम की धारा 32 के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। 1993 के अधिनियम 32 के प्रवर्तन से पहले, लघु उद्योग को केवल उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11 बी के तहत अधिसूचना द्वारा परिभाषित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 29 बी के अनुसार, लघु उद्योग क्षेत्र में विशेष विनिर्माण के लिए वस्तुओं के आरक्षण को अधिसूचित करने वाली अधिसूचनाएं जारी की जा रही थीं। उपरोक्त दो प्रावधानों को छोड़कर, क्योंकि लघु उद्योग के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं था, और यह ध्यान में रखते हुए कि एम/एस।

लघु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का गतिशील और जीवंत क्षेत्र है, यह महसूस किया गया कि इस क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए एक व्यापक केंद्रीय अधिनियम लाया जाएगा

और विकास। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह भी स्पष्ट है कि नीतिगत समर्थन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई थी

लघु क्षेत्र के लिए ताकि वे मध्यम क्षेत्रों में विकसित हो सकें और बेहतर और उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी को अपना सकें और तेजी से वैश्वीकरण की अवधि में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उच्च उत्पादकता प्राप्त कर सकें। यह भी देखा गया कि मध्यम उद्योग या उद्यम को किसी द्वारा परिभाषित नहीं किया गया था

कानून। उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम 'लघु उद्यम' और 'मध्यम उद्यम' को वैधानिक परिभाषा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था; राष्ट्रीय लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड की स्थापना के लिए प्रावधान; संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर छोटे और मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण प्रदान करना; केंद्र सरकार को छोटे और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों, दिशानिर्देशों को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाना; बीमारी की घटनाओं को कम करने के लिए छोटे और मध्यम उद्यमों को समय पर और सुचारू रूप से ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना; वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के संबंध में प्राथमिकता नीतियों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सशक्त बनाना; केंद्र सरकार को सशक्त बनाना।

सरकार पदोन्नति को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कोष या कोष बनाएगी और लघु उद्यमों और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता का विकास और वृद्धि; लघु और सहायक उद्योगों को विलंबित भुगतान पर ब्याज में और सुधार करना।

17. उपरोक्त दोनों विधानों के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती विधान, अर्थात 1993 का अधिनियम, केवल लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान के संबंध में सीमित था, लेकिन 2006 के बाद के अधिनियम द्वारा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को शामिल करते हुए एक व्यापक कानून लाया गया था। नए अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। 'उद्यमों' को 2006 के अधिनियम के अध्याय III के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में वर्गीकृत किया गया था। चूक की स्थिति में खरीदार की देयता और तंत्र अधिनियम के अध्याय V के तहत विभिन्न प्रावधानों द्वारा है। धारा 5 से 19 जो इन मामलों के निपटारे के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार हैं:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 5. बोर्ड के कार्य। - बोर्ड, केंद्र सरकार के सामान्य निर्देशों के अधीन, सभी या किसी भी कार्य का निष्पादन करेगा। निम्नलिखित कार्य, अर्थात्:

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना और इस संबंध में केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना।

प्रोत्साहन और विकास को सुविधाजनक बनाने और ऐसे उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और ऐसे उद्यमों पर उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट मामलों पर या केंद्र सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर सिफारिशें करें, जो उस सरकार की राय में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुविधाजनक बनाने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए आवश्यक या समीचीन है; और

(ग) धारा 12 के तहत गठित निधि या निधियों के उपयोग पर केंद्र सरकार को सलाह देना।

6. सदस्य की शक्तियाँ और कार्य-बोर्ड के सचिव।

7. उद्यमों का वर्गीकरण। (1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 11 बी में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए - उप-धारा (4) और (5) के प्रावधान उद्यमों के किसी भी वर्ग या वर्गों को वर्गीकृत करते हैं, चाहे वह स्वामित्व हो, हिंदू अविभाजित परिवार हो, व्यक्तियों का संघ हो, सहकारी समिति हो, साझेदारी फर्म हो, कंपनी हो या उपक्रम हो, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए।

(क) में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्यमों के मामले में

उद्योगों की पहली अनुसूची (विकास और विनियमन)

अधिनियम, 1951 (1951 का 65), (i) एक सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं है।

पाँच करोड़ रुपये से अधिक; या ((iii) एक मध्यम उद्यम, जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश पाँच करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन दस से अधिक नहीं है।

करोड़ रुपये;

(ख) प्रदान करने में लगे उद्यमों के मामले में या

सेवाओं का प्रतिपादन, के रूप में

(i) एक सूक्ष्म उद्यम, जहां उपकरणों में निवेश दस लाख रुपये से अधिक नहीं है;

((ii) एक छोटा उद्यम, जिसमें उपकरणों में निवेश दस लाख रुपये से अधिक है, लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; या

((iii) एक मध्यम उद्यम, जहाँ उपकरणों में निवेश दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन पाँच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

रुपये।

स्पष्टीकरण 1. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि संयंत्र और मशीनरी में निवेश की गणना करते समय,

प्रदूषण नियंत्रण, अनुसंधान और विकास, औद्योगिक सुरक्षा उपकरणों और ऐसी अन्य वस्तुओं की लागत जो अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जाए, को बाहर रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2. - यह स्पष्ट किया जाता है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29 बी के प्रावधान

(क) केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग में भारत सरकार का सचिव जिसके पास प्रशासनिक अधिकार हों। लघु और मध्यम उद्यमों का नियंत्रण जो पदेन अध्यक्ष होंगे; [2021] 3 एस. सी. आर.

(ख) केंद्र सरकार के पाँच से अधिक अधिकारी जो सूक्ष्म, लघु और गैर-लाभकारी क्षेत्रों से संबंधित मामलों में आवश्यक विशेषज्ञता रखते हों।

और मध्यम उद्यम, सदस्य, पदेन; (ग) राज्य सरकारों के तीन से अधिक प्रतिनिधि, सदस्य, पदेन; और

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संघों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि, सदस्य, पदेन।

(3) बोर्ड का सदस्य-सचिव भी होगा

पदेन सदस्य-सलाहकार समिति के सचिव।

(4) केंद्र सरकार, किसी को भी वर्गीकृत करने से पहले

उप-धारा (1) के तहत उद्यमों के वर्ग या वर्ग सलाहकार समिति की सिफारिशें प्राप्त करते हैं। (5) सलाहकार समिति धारा 5 में निर्दिष्ट किसी भी विषय के संबंध में बोर्ड द्वारा उसे भेजे गए मामलों की जांच करेगी और बोर्ड को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्र सरकार अध्याय IV की धारा 9,10,11,12 या 14 में निर्दिष्ट किसी भी मामले पर सलाहकार समिति की सलाह ले सकती है। (7) राज्य सरकार निम्नलिखित नियमों में निर्दिष्ट किसी भी मामले पर सलाहकार समिति की सलाह ले सकती है।

धारा 30.

(8) सलाहकार समिति निम्नलिखित मामलों पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें या सलाह भेजेगी। केंद्र सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार या बोर्ड को, अर्थात्:

(क) किसी वर्ग या वर्गों में रोजगार का स्तर

(ग) प्रौद्योगिकी उन्नयन, रोजगार सृजन के लिए संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में अधिक निवेश की आवश्यकता। और उद्यमों के वर्ग या वर्गों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि;

(घ) प्रचार और प्रसार की संभावना

सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों में उद्यमिता; और

(ङ) लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक।

(9) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11 बी में कुछ भी निहित होने के बावजूद

धारा (1), समय-समय पर, निवेश के मानदंडों में परिवर्तन करती है और उद्यमों के रोजगार या कारोबार के संबंध में मानदंडों या मानकों पर भी विचार करती है और ऐसे वर्गीकरण में सूक्ष्म या लघु उद्यमों या ग्रामीण उद्यमों को लघु उद्यमों के हिस्से के रूप में शामिल करती है। 8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ज्ञापन। (1) कोई भी व्यक्ति जो स्थापित करना चाहता है, -

(क) एक सूक्ष्म या लघु उद्यम, अपने विवेक पर; या

(ख) सेवाएँ प्रदान करने या प्रदान करने में लगा एक मध्यम उद्यम, अपने विवेक पर; या

(ग) में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगा एक मध्यम उद्यम

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की पहली अनुसूची,

सूक्ष्म, लघु या, यथास्थिति, मध्यम उद्यम का ज्ञापन ऐसे प्राधिकरण के साथ दाखिल करेगा जो उप-धारा (4) के तहत राज्य सरकार या उप-धारा (3) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए:

(क) एक लघु उद्योग और एक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया, अपने विवेक पर; और ((ख) पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगा हुआ उद्योग।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65), जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश [2021] 3 एस. सी. आर. से अधिक है।

एक करोड़ रुपये लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं और भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में

पूर्ववर्ती उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विभाग) विकास) संख्या एस. ओ. 477 (ई), दिनांक 25 जुलाई, 1991 को दाखिल की गई

एक औद्योगिक उद्यमी का ज्ञापन,

इस अधिनियम के प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, के अनुसार ज्ञापन दाखिल करेगा

इस अधिनियम के प्रावधान।

(2) ज्ञापन का रूप, इसे दाखिल करने की प्रक्रिया

और इसके आनुषंगिक अन्य मामले ऐसे होंगे जो इस संबंध में सलाहकार समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकते हैं। (3) जिस प्राधिकारी के साथ एक मध्यम उद्यम द्वारा ज्ञापन दाखिल किया जाएगा, वह ऐसा होगा जो इसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए -

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगी जिसके साथ एक सूक्ष्म या लघु उद्यम आवेदन कर सकता है। ज्ञापन।

(5) उप-धारा (3) और (4) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित प्रक्रिया का पालन करेंगे।

उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा।

9. संवर्धन और विकास के लिए उपाय। — केंद्र सरकार, समय-समय पर, सुविधा प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों का संवर्धन और विकास, कर्मचारियों, प्रबंधन और उद्यमियों में कौशल विकास के माध्यम से, तकनीकी उन्नयन, विपणन सहायता या बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रावधान और ऐसे उद्यमों के समूह विकास के लिए पिछड़े और आगे के संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से, निर्दिष्ट करें -

अधिसूचना, ऐसे कार्यक्रम, दिशा-निर्देश या निर्देश, जो वह उचित समझे।

10. ऋण सुविधाएं। नीतियों और प्रथाओं के संबंध में

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रगतिशील होगा और जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों या निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

सिल्पी उद्योग ई. टी. सी. v. केरल राज्य सड़क परिवहन निगम [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

ऐसे उद्यमों को समय पर और सुचारू रूप से ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना, उनके बीच बीमारी की घटनाओं को कम करना और ऐसे उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।

11. खरीद वरीयता नीति। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, समय-समय पर आदेश द्वारा, खरीद के संबंध में वरीयता नीतियों को अधिसूचित कर सकती है।

सूक्ष्म और लघु द्वारा उत्पादित और प्रदान की जाने वाली वस्तुएँ और सेवाएँ उद्यम, अपने मंत्रालयों या विभागों द्वारा, जैसा भी मामला हो, या इसके सहायता प्राप्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा।

12. कोष. — अधिसूचना द्वारा एक का गठन किया जाएगा या

अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए नाम से अधिक निधियों को बुलाया जाएगा और दिए गए किसी भी अनुदान को उसमें जमा किया जाएगा।

धारा 13 के तहत केंद्र सरकार द्वारा। 13. केंद्र सरकार द्वारा अनुदान। केंद्र सरकार, इस संबंध में संसद द्वारा कानून द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुदान के माध्यम से निधि या निधियों को ऐसी राशि जमा कर सकती है जो उस सरकार को दी जाए।

15. भुगतान करने के लिए खरीदार की देयता। — जहाँ कोई आपूर्तिकर्ता किसी वस्तु की आपूर्ति करता है या किसी खरीदार को कोई सेवा प्रदान करता है, वहाँ खरीदार उसके और आपूर्तिकर्ता के बीच लिखित रूप में सहमत तिथि को या उससे पहले या जहाँ इस संबंध में कोई समझौता नहीं है, वहाँ नियत दिन से पहले भुगतान करेगा: बशर्ते कि किसी भी मामले में आपूर्तिकर्ता और खरीदार के बीच लिखित रूप में सहमत अवधि स्वीकृति के दिन या मानी गई स्वीकृति के दिन से पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं होगी। 16. किस तारीख और किस दर पर ब्याज देय है। जहाँ कोई खरीदार [2021] 3 एस. सी. आर. को राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

बल, निर्धारित दिन से या, जैसा भी मामला हो, सहमति की तारीख के तुरंत बाद की तारीख से, रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर उस राशि पर आपूर्तिकर्ता को मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। 17. देय राशि की वसूली। आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु या प्रदान की गई सेवाओं के लिए, खरीदार धारा 16 के तहत प्रदान किए गए ब्याज के साथ राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। 10.

18. सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद का संदर्भ। (1) उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, विवाद का कोई भी पक्ष, धारा 17 के तहत देय किसी भी राशि के संबंध में, निम्नलिखित का संदर्भ दे सकता है:

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद।

(2) उप-धारा (1) के तहत एक निर्देश प्राप्त होने पर, परिषद या तो स्वयं मामले में सुलह करेगी या अनुरोध करेगी।

वैकल्पिक विवाद प्रदान करने वाली किसी भी संस्था या केंद्र की सहायता

सुलह और धाराओं के प्रावधानों के संचालन के लिए ऐसी संस्था या केंद्र का संदर्भ देकर समाधान सेवाएँ

(3) जहां उप-धारा (2) के तहत शुरू किया गया सुलह सफल नहीं होता है और बिना किसी समझौते के समाप्त हो जाता है। पक्षों के बीच, परिषद या तो स्वयं उठाएगी

मध्यस्थता के लिए विवाद या ऐसे मध्यस्थता के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था या केंद्र को संदर्भित करना और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधान तब विवाद पर लागू होंगे जैसे कि मध्यस्थता उस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी।

(4) उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सूक्ष्म और लघु उद्यम

सुविधा परिषद या वैकल्पिक विवाद प्रदान करने वाला केंद्र

समाधान सेवाओं को आपूर्तिकर्ता मेसर्स के बीच विवाद में इस धारा के तहत मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

इसके अधिकार क्षेत्र में स्थित और कहीं भी स्थित एक खरीदार भारत।

(5) इस धारा के तहत किए गए प्रत्येक संदर्भ पर निर्णय लिया जाएगा।

ऐसा करने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर

संदर्भ।

19. डिक्री, पुरस्कार या आदेश को अलग करने के लिए आवेदन।

स्वयं परिषद या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएँ प्रदान करने वाले किसी भी संस्थान या केंद्र द्वारा दिए गए किसी डिक्री, पुरस्कार या अन्य आदेश को दरकिनार करने के लिए कोई आवेदन नहीं परिषद द्वारा किया गया है, किसी भी अदालत द्वारा तब तक विचार किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी (आपूर्तिकर्ता नहीं होने के नाते) ने इसके साथ पचहत्तर प्रतिशत जमा नहीं किया है। डिक्री, पुरस्कार या, जैसा भी मामला हो, अन्य आदेश के संदर्भ में राशि के बारे में, ऐसे द्वारा निर्देशित तरीके से

अदालत:

बशर्ते कि आवेदन के लंबित निपटान को अलग रखा जाए

डिक्री, पुरस्कार या आदेश, न्यायालय आदेश देगा कि इस प्रकार

जमा की गई राशि का प्रतिशत आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाएगा, जैसा कि वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझता है, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह लागू करना आवश्यक समझता है।

18. प्रथम मुद्दे के संबंध में, अर्थात्, के प्रावधानों के तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, हमें अधिनियम की कुछ प्रासंगिक धाराओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उक्त अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, जहां आपूर्तिकर्ता किसी भी वस्तु की आपूर्ति करता है या किसी भी खरीदार को कोई सेवा प्रदान करता है, तो खरीदार निर्धारित दिन से पहले लिखित रूप में या जहां कोई समझौता नहीं है, दोनों पक्षों के बीच सहमत तिथि को या उससे पहले भुगतान करेगा। धारा 16 भुगतान न करने की स्थिति में देय ब्याज की दर और तारीख से संबंधित है। देय राशि के लिए वसूली तंत्र उक्त अधिनियम की धारा 17 और 18 के अंतर्गत आता है। यदि किसी पक्ष को धारा 17 के तहत देय राशि के संबंध में विवाद है, तो सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को एक संदर्भ दिया जाना आवश्यक है। इस तरह के संदर्भ पर, परिषद को मामले में सुलह करने या सुलह करने के लिए ऐसी संस्था का संदर्भ देकर वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी संस्थान या केंद्र से सहायता लेने का अधिकार है। यदि सुलह सफल नहीं होता है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 18

(2) के तहत विचार किया गया है, तो उसे उक्त [2021] 3 एस. सी. आर. की धारा 18 (3) के तहत समाप्त कर दिया जाता है।

एक्ट करें। इसके बाद, परिषद या तो स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए उठाएगी या इसे किसी भी संस्था या केंद्र को भेजेगी जो इस तरह के मध्यस्थता के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करता है और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को लागू किया जाता है जैसे कि मध्यस्थता पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी।

1996 के अधिनियम की धारा 7 की धारा (1)। मध्यस्थताओं पर सीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता 1996 के अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत आती है। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधानों और आंध्र प्रदेश पावर कोऑर्डिनेशन के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए

समिति और अन्य। वी. लैंको कोंडापल्ली पावर लिमिटेड & Ors.[3]

अभिनिर्धारित किया कि सीमा अधिनियम, 1963 2006 अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत आने वाले मध्यस्थताओं पर लागू होता है। धारा 43 के पढ़ने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि सीमा अधिनियम, 1963 मध्यस्थता पर लागू होगा, जैसा कि यह अदालत में कार्यवाही पर लागू होता है। जब 2006 के अधिनियम की धारा 18 के तहत पक्षों के बीच किसी विवाद के संबंध में समझौता नहीं किया जाता है, तो आवश्यक रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद 2006 के अधिनियम की धारा 18 (3) के तहत विवाद को मध्यस्थता के लिए उठाएगी या वह वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्था या केंद्र को संदर्भित कर सकती है और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों को लागू किया जाता है जैसे कि 1996 के अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत पक्षों के बीच कोई समझौता था। सीमा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने वाले स्पष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, 1963 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 43 के अनुसार मध्यस्थता के लिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश शक्ति समन्वय के मामले में निर्णय पर सही भरोसा किया है।

समिति 3 और अभिनिर्धारित किया कि सीमा अधिनियम, 1963 लागू होता है

2006 अधिनियम की धारा 18 (3) के तहत मध्यस्थता कार्यवाही। इस प्रकार, हमारा विचार है कि इस मुद्दे पर आगे विस्तार की आवश्यकता नहीं है और हमारा मानना है कि सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान इन पर लागू होंगे -

19. दूसरा मुद्दा 2006 के अधिनियम की धारा 18 (3) के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में जवाबी दावे की स्थिरता के संबंध में है। यह सच है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 के तहत वसूली राशि 3 (2016) 3 एस. सी. सी. 468 एम/एस.

अधिनियम केवल उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा दावा की गई राशि के संदर्भ में है। लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 18 पर आते हुए, उपयोग किए गए शब्द हैं, अधिनियम की धारा 18 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद का संदर्भ देने के लिए 'विवाद का कोई भी पक्ष'। रखरखाव के मुद्दे को तय करने के लिए हम अपीलों के पहले समूह का उल्लेख करते हैं, जो केरल उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित हैं। अपीलार्थी उत्तरदाता-के. एस. आर. टी. सी. को टायर पुनर्निर्माण के लिए धागे के रबड़ के आपूर्तिकर्ता हैं। उन्हें खरीद आदेश दिए गए थे निगम और उन्हें कुल मूल्य का 90 प्रतिशत भुगतान किया गया था और अंतिम प्रदर्शन रिपोर्ट के आधार पर 10 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। जबकि यह अपीलार्थियों का मामला है कि वे 10 प्रतिशत की शेष राशि के हकदार हैं, इसे अवैध रूप से रोक दिया गया था, दूसरी ओर यह निगम का मामला है कि चूंकि आपूर्ति का प्रदर्शन संविदात्मक शर्तों के अनुसार नहीं था, इसलिए अपीलार्थी किसी भी राशि के हकदार नहीं हैं और कुछ मामलों में निगम द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ जवाबी दावे किए गए थे। अपीलों के पहले बैच में अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि 2006 के अधिनियम के अध्याय V के तहत विभिन्न प्रावधानों के व्यापक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सुलह और मध्यस्थता, केवल आपूर्तिकर्ता के दावों के लिए संदर्भित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2006 का अधिनियम सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक लाभकारी कानून है।

खरीदार द्वारा जवाबी दावों की अनुमति देकर अधिनियम का विस्तार नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2006 के अधिनियम का उद्देश्य पूरी तरह से सूक्ष्म और छोटे उद्यमों की रक्षा करना है, यदि जवाबी दावों की अनुमति दी जाती है तो यह अधिनियम के दायरे का विस्तार करने के बराबर है। दूसरी ओर यह प्रस्तुत किया जाता है

सुश्री ऐश्वर्या भाटी द्वारा, अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त की। प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल-निगम और श्री पी. बी. सुरेश, C.A.Nos से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील। 1620 1622 2021 का प्रावधान है कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, जो "अवैतनिक विक्रेता" के लिए एक लाभकारी कानून है, को अनुचित नहीं माना जा सकता है और अधिनियम के तहत गठित अधिकारियों को खरीदार के कहने पर केवल जवाबी दावे के अनुरोध पर दावों पर विचार करने के लिए इसके अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इस आधार पर कि सुविधा परिषद को उसके अधिकार क्षेत्र से वंचित किया जाता है, विक्रेताओं को अधिनियम के तहत प्रदान किए गए विभिन्न लाभों से वंचित किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक मामले में क़ानून के तहत प्रदान किए गए लाभों से इनकार करने के लिए, विक्रेता को इस याचिका पर ऐसे लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है कि 2006 अधिनियम के तहत गठित अधिकारियों के समक्ष जवाबी दावा बनाए रखने योग्य नहीं है। अधिनियम की धारा 16 का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां कोई खरीदार आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, [2021] 3 एस. सी. आर.

धारा 15 के तहत, खरीदार, खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच किसी समझौते में या उस समय लागू किसी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, निर्धारित दिन से या, जैसा भी मामला हो, सहमति की तारीख से, रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर उस राशि पर आपूर्तिकर्ता को मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अधिनियम की धारा 19 का आगे उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब डिक्री, पुरस्कार या आदेश को दरकिनार करने के लिए कोई आवेदन दायर किया जाता है तो उसे किसी भी अदालत द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी (आपूर्तिकर्ता नहीं होने के नाते) ने डिक्री या पुरस्कार के संदर्भ में राशि का 75 प्रतिशत अपने साथ जमा नहीं कर दिया हो। उक्त लाभ इस प्रकार हैं -

अधिनियम के लाभकारी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, विक्रेताओं को प्रदान किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि परिषद के अधिकार क्षेत्र को इस आधार पर हटा दिया जाता है कि जवाबी दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है, तो खरीदार आसानी से सीमा पार कर सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के कानूनी दायित्व और उसी को चुनौती देने की स्थिति में प्रदान की गई राशि का 75 प्रतिशत पूर्व जमा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जवाबी दावा 2006 अधिनियम के तहत गठित अधिकारियों के समक्ष बनाए रखने योग्य है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब सुलह विफल हो जाती है, तो आगे की कार्यवाही के लिए, के प्रावधान

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को इस प्रकार लागू किया गया है जैसे कि 1996 अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत पक्षों के बीच कोई समझौता है, जैसे कि खरीदार द्वारा जवाबी दावे की अनुमति नहीं देने का कोई कारण नहीं है। धारा 23 (2ए) का एक विशिष्ट संदर्भ दिया गया है। 1996 का अधिनियम। C.A.Nos में प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री बसव प्रभु एस. पाटिल। 1620-1622 2021 का है

प्रस्तुत किया कि धारा 18 के तहत कोई दावा या जवाबी दावा विचार या अनुमेय नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 18 में आने वाली अभिव्यक्ति 'कोई भी पक्ष' केवल आपूर्तिकर्ता के लिए संदर्भित है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकार क्षेत्र के अभाव में, किसी भी जवाबी दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यह

प्रस्तुत किया कि किसी भी स्थिति में क्योंकि माल और सेवाओं की आपूर्ति अपीलार्थी द्वारा ज्ञापन दाखिल करने से बहुत पहले की गई थी, अपीलार्थी एमएसएमईडी अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण के समक्ष कोई दावा नहीं कर सकता है।

20. 2006 के अधिनियम की धारा 18 (3) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि जब सुलह की प्रक्रिया की धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत शुरू की गई थी।

उक्त अधिनियम सफल नहीं है, परिषद या तो स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए उठाएगी या मध्यस्थता के लिए किसी भी संस्था को भेजेगी। इसके अलावा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3) यह भी स्पष्ट करती है कि 1996 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है जैसे कि 1996 के अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत पक्षों के बीच कोई समझौता है। एम/एस की धारा 23।

1996 का अधिनियम दावा और बचाव के बयान से संबंधित है। धारा 23 (2ए), जो प्रत्यर्थी को मध्यस्थता समझौते के दायरे में दावों के संबंध में जवाबी दावा प्रस्तुत करने या समझौता करने का अधिकार देती है, को 2016 के अधिनियम 3 में संशोधन करके क़ानून में लाया गया है। यदि हम संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को देखें, इसे कम से कम अदालत के हस्तक्षेप के साथ मध्यस्थता से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान का प्रावधान करने के लिए भी अधिनियमित किया गया है। विधेयक का खंड 11, जिसके द्वारा उप-धारा (2ए) को अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था, कहता है कि उप-धारा (2ए) का उद्देश्य प्रत्यर्थी को अपने मामले के समर्थन में प्रतिदावे या प्रतिदावे प्रस्तुत करने का अवसर देना था, यदि ऐसा प्रतिदावे या प्रतिदावे मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है। जब धारा 18 (3) यह स्पष्ट करती है कि धारा 18 (2) के तहत परिषद द्वारा विफलता की स्थिति में यदि 1996 अधिनियम की धारा 18 (3) के तहत कार्यवाही शुरू की जाती है, तो 1996 अधिनियम के प्रावधानों को न केवल लागू किया जाता है, बल्कि इस प्रभाव का विशिष्ट उल्लेख किया जाता है जैसे कि मध्यस्थता 1996 अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी। जब 1996 के अधिनियम की धारा 23 में स्पष्ट रूप से प्रतिदावे और प्रतिदावे दायर करने का प्रावधान किया गया है, तो प्रतिदावे के प्रतिदावे के अधिकार में कटौती करने का कोई कारण नहीं है

सुविधा परिषद के समक्ष कार्यवाही में दावा करना या बंद करना। 21. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि हम किए गए दावों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही में खरीदार द्वारा किए गए जवाबी दावे की अनुमति नहीं देते हैं

विक्रेता द्वारा, यह विभिन्न मंचों के समक्ष समानांतर कार्यवाही का कारण बन सकता है। एक ओर, लाभकारी विधान को ध्यान में रखते हुए, विक्रेता दावों के लिए सुविधा परिषद से संपर्क कर सकता है, 2006 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत खरीदार द्वारा भुगतान की विफलता की स्थिति में, उसी समय, यदि किसी दिए गए मामले में किसी भी मध्यस्थता के लिए पक्षों के बीच कोई अलग समझौता नहीं है, तो खरीदार विक्रेता के खिलाफ दावा करने के लिए दीवानी अदालत से संपर्क कर सकता है, या अन्यथा यदि पक्षों के बीच विवाद की स्थिति में मध्यस्थता के लिए पक्षों के बीच कोई समझौता है, तो पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग कर सकते हैं। उसी समय यदि विक्रेता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के तहत परिभाषा के तहत आता है, तो विक्रेता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रावधानों के तहत दावा करने के लिए सुविधा परिषद से संपर्क कर सकता है। मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006। ऐसी स्थिति में, इसके परिणामस्वरूप विभिन्न मंचों द्वारा परस्पर विरोधी निष्कर्ष निकल सकते हैं।

22. मामलों के दूसरे समूह में यह स्पष्ट है कि जब विक्रेता खरीदार के खिलाफ कुछ दावे करते हुए सुविधा परिषद से संपर्क करता है, तो खरीदार

अपनी उपस्थिति के बाद, धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 1996 के अधिनियम का इस आधार पर कि मध्यस्थता के लिए पक्षों के बीच एक समझौता है। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध किया गया था कि वह पहले ही सुविधा परिषद से संपर्क कर चुका है और कार्यवाही लंबित है, प्रत्यर्थी के रूप में हम कार्यवाही का विरोध करते हैं और अपना प्रतिवाद भी करते हैं, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर ऐसी याचिका को खारिज कर दिया है कि 2006 का अधिनियम मुख्य रूप से केवल विक्रेता के दावों से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि खरीदार जवाबी दावा नहीं कर सकता है, इसलिए 2006 के अधिनियम के तहत परिषद के समक्ष कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है और तदनुसार दूसरा मध्यस्थ नियुक्त करके आदेश दिया जाता है।

2006 के अधिनियम के अध्याय 5 के अंतर्गत आता है। अधिनियम की धारा 15 से 23 के प्रावधानों को किसी भी चीज के बावजूद प्रबल प्रभाव दिया गया है। उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित इसके साथ असंगत। उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह भी स्पष्ट है कि यह लघु, मध्यम और सूक्ष्म क्षेत्र के लिए एक लाभकारी कानून है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 एक सामान्य कानून है जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 एक विशेष कानून है।

लाभकारी विधान जिसका उद्देश्य उक्त अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ पहुंचाना है। 2006 का अधिनियम सुलह विफल होने पर एक वैधानिक मध्यस्थता पर विचार करता है। एक पक्ष जो 2006 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है, एक पक्ष को पहले सुलह करने और फिर उसके और अन्य पक्षों के बीच विवाद पर मध्यस्थता करने के लिए अधिनियम के तहत गठित परिषद में आवेदन करने की अनुमति देता है। 2006 के अधिनियम और 1996 के अधिनियम के तहत निपटान तंत्र में बुनियादी अंतर हैं। पहला अंतर यह है कि मध्यस्थता से पहले अनिवार्य सुलह करने के लिए 2006 के अधिनियम के तहत गठित परिषद, जो 1996 के अधिनियम के तहत ऐसा नहीं है। दूसरा, 2006 के अधिनियम के तहत सुलह की विफलता की स्थिति में, परिषद या केंद्र या संस्थान को मध्यस्थता के लिए पहचाना जाता है। 1996 का अधिनियम सहमत मंच द्वारा विवादों के समाधान की अनुमति देता है। तीसरा अंतर यह है कि विक्रेता के पक्ष में पुरस्कार की स्थिति में और यदि उसी को चुनौती दी जानी चाहिए, प्रदान की गई राशि का 75 प्रतिशत पूर्व जमा करने की एक शर्त है। 1996 के अधिनियम में ऐसा नहीं है। जब विशेष अधिनियम में ऐसे लाभकारी प्रावधान हैं, तो ऐसे लाभों को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि प्रति-दावा बनाए रखने योग्य नहीं है।

परिषद के समक्ष। किसी भी मामले में, जब भी खरीदार परिषद के अधिकार क्षेत्र से बचना चाहता है, तो खरीदार विक्रेता के दावों का जवाब दिए बिना काउंटर-क्लेम की विशाल याचिका पर ऐसा कर सकता है। जब अधिनियम की धारा 24 के तहत धारा 15 से 23 के प्रावधानों को ओवरराइडिंग प्रभाव दिया जाता है और आगे 2006 अधिनियम एक लाभकारी कानून है, तो हम हैं

अनुमति दी जाती है, इसके परिणामस्वरूप परस्पर विरोधी निष्कर्ष निकल सकते हैं। इस स्तर पर एडुकान्ति किस्तम्मा के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान देना प्रासंगिक है। (मृत) एलआर के माध्यम से। वी. एल. आर. के माध्यम से एस. वेंकटरेड्डी (मृत)। & Ors.4 जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक विशेष क़ानून को सामान्य पर प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ यह लाभकारी है। यह समझाया गया कि उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांतों को लागू करके अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दोनों विधानों में से, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के प्रावधान प्रबल होंगे, विशेष रूप से जब इसकी धारा 24 के तहत ओवरराइडिंग प्रावधान है। इस प्रकार, हमारा मानना है कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, एक विशेष क़ानून होने के नाते, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, जो एक सामान्य अधिनियम है, की तुलना में एक प्रमुख प्रभाव डालेगा।

भले ही मध्यस्थता द्वारा विवादों के समाधान के लिए पक्षों के बीच कोई समझौता हो, अगर कोई विक्रेता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के दायरे में आता है, तो विक्रेता निश्चित रूप से अपना दावा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है। यदि दोनों के बीच कोई समझौता हो। 2006 के अधिनियम के तहत प्रदान किए गए वैधानिक दायित्वों और तंत्र को देखते हुए पार्टियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, 1996 के अधिनियम की धारा 23 (2ए) के तहत प्रावधान के अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि जवाबी दावे की अनुमति नहीं है, तो खरीदार बैंक दर के 3 गुना पर चक्रवृद्धि ब्याज और एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 और 19 के तहत विचार किए गए "75 प्रतिशत पूर्व-जमा" के कानूनी दायित्व को पूरा कर सकता है।

24. उपरोक्त कारणों से और एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर

2006 के अधिनियम की धारा 18 (3) और अधिनियम की धारा 7 (1) और धारा 23 (2ए)

4 (2010) 1 एससीसी 756 [2021] 3 एस. सी. आर.

1996 के अधिनियम में, हमारा विचार है कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत वैधानिक प्राधिकरणों के समक्ष प्रति-दावा बनाए रखा जा सकता है।

25. C.A.Nos में। 1620-1622 2021 में, उच्च न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए

अपीलार्थी की याचिका ने, प्रतिदावे की स्थिरता पर, 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी है और दूसरे मध्यस्थ को नियुक्त किया है। यद्यपि, हमारा विचार है कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत सांविधिक प्राधिकरणों के समक्ष प्रति-दावा और प्रत्यर्पण बनाए रखने योग्य है, अपील के इस समूह में अपीलार्थी राहत का हकदार नहीं है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तारीख पर अपीलार्थी के पास अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ज्ञापन जमा करके पंजीकरण नहीं था। बोली 23.02.2010 पर आमंत्रित की गई थी, अपीलार्थी ने 17.05.2010 पर अपनी बोली प्रस्तुत की, प्रतिवादी ने 24.09.2010 पर अपीलार्थी को अनुबंध प्रदान किया और पक्षों ने 29.07.2011 पर सामग्री की आपूर्ति, बिजली संयंत्र की स्थापना/चालू करने के लिए अनुबंध दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद, आपूर्ति की गई और अपीलार्थी ने आपूर्ति अनुबंध के लिए 02.11.2011 पर पहला चालान उठाया और 07.07.2012 पर स्थापना के लिए अनुबंध के अनुसार पहला चालान भी उठाया और अपीलार्थी ने सामग्री की आपूर्ति के लिए अनुबंध को आगे बढ़ाने के लिए अंतिम चालान 29.03.2014 पर उठाया। अपीलार्थी यह भी दावा करता है कि उसने स्थापना के लिए अनुबंध को आगे बढ़ाने के लिए 29.03.2015 पर अंतिम चालान उठाया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी ने केवल 25.03.2015 पर उद्यमी ज्ञापन देने के लिए जिला औद्योगिक केंद्र से संपर्क किया। 26. यद्यपि अपीलार्थी एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत प्रावधानों के लाभ का दावा करता है, इस आधार पर कि अपीलार्थी भी दावा करने की तारीख तक आपूर्ति कर रहा था, जैसा कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रदान किया गया है, लेकिन यह किसी भी स्वीकार्य सामग्री पर आधारित नहीं है। अपीलार्थी ने अपने मामले के समर्थन में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया

जी. ई. टी. एंड डी. इंडिया लिमिटेड के मामले में न्यायालय बनाम विश्वसनीय इंजीनियरिंग परियोजनाएं और विपणन, लेकिन उक्त मामला स्पष्ट रूप से अलग है

उक्त मामले में तथ्यों पर, अधिनियम की धारा 8 के तहत इकाई के पंजीकरण के बाद भी आपूर्ति जारी रही। वर्तमान मामले में, निर्विवाद स्थिति यह है कि आपूर्ति आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण से पहले की गई थी। अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से भी अपीलार्थी के मामले के समर्थन में कोई सहायता नहीं मिलेगी। हमारे विचार में, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत प्रावधानों का लाभ लेने के लिए, विक्रेता को अनुबंध में प्रवेश करने की तारीख को अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होना चाहिए। किसी भी मामले में, आपूर्ति के लिए

& ओआरएस। आदि ने अभिनिर्धारित किया है कि माल/सेवाओं की आपूर्ति की तारीख को उपरोक्त अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए, उस तारीख के विपरीत, जिस दिन आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया था, प्रासंगिक तारीख के रूप में लिया जा सकता है। यहां तक कि उक्त अनुपात को भी लागू करते हुए, अपीलार्थी अधिनियम का लाभ लेने का हकदार नहीं है। एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 के तहत इकाई के रूप में अपीलार्थी के पंजीकरण के बाद यह दिखाने के लिए कोई स्वीकार्य सामग्री नहीं है कि माल की आपूर्ति हुई है या कोई सेवा प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत ज्ञापन दाखिल करने का सहारा लेकर, वस्तुओं और सेवाओं के अनुबंध और आपूर्ति में प्रवेश करने के बाद, कोई भी व्यक्ति एमएसएमईडी के तहत वर्गीकृत होने की कानूनी स्थिति को नहीं मान सकता है। अधिनियम, 2006, एक उद्यम के रूप में, उस तारीख से पूर्वव्यापी रूप से लाभ का दावा करने के लिए जिस दिन अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ अनुबंध किया था। अपीलार्थी एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अर्थ के भीतर लाभों का दावा करने के लिए सूक्ष्म या लघु उद्यम या आपूर्तिकर्ता नहीं बन सकता है।

माल और सेवाओं के अनुबंध और आपूर्ति में प्रवेश करने के बाद पंजीकरण प्राप्त करने के लिए ज्ञापन। यदि कोई पंजीकरण प्राप्त किया जाता है, तो वह संभावित होगा और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लागू होगा।

पंजीकरण के बाद लेकिन पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं कर सकते। प्रावधान की कोई भी अन्य व्याख्या बेतुकी और अनुचित होगी। एक पक्ष के पक्ष में अनुचित लाभ जो कानून द्वारा अभिप्रेत नहीं है।

अपीलार्थी ने फरवरी/मार्च 2015 के महीने में अपर्याप्त और दोषपूर्ण आपूर्ति करके अधूरे काम को छोड़ दिया है। मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा दृढ़ विचार है कि अपीलार्थी अध्याय 5 के प्रावधानों को लागू करने और एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 के तहत मध्यस्थता का संदर्भ लेने का हकदार नहीं है। इसके अलावा, चूंकि यह भी विवाद में नहीं है कि पक्षों के बीच उनके अनुबंध के अनुसार विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता के लिए एक समझौता है, इसलिए हम 6 (2019) 19 एससीसी 529 [2021] 3 एस. सी. आर.

उनका विचार है कि उच्च न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत प्रतिवादी के आवेदन को उचित रूप से अनुमति दी है।28. उपरोक्त कारणों से, इन दीवानी अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

लागत के बारे में आदेश दें।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

उजराल